न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 227 / 2023

उनवान

मु. लीलादेवी पत्नी प्रभात कुमार शर्मा निवासी शांतिनगर शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1– दूदा पुत्र धन्ना गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
2– मु. रूपा पत्नी धन्ना गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
3– राजू पुत्र मांगू गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
4– मु. कंकू पुत्री सीताराम खटीक निवासी शाहपुरा जिला शाहपुरा
5– नारायण पुत्र उगमा गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
6– गोपाल पुत्र उगमा गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
7– सत्यनारायण पुत्र उगमा गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
8– प्रभा देवी पत्नी सोहनलाल शर्मा निवासी शाहपुरा जिला शाहपुरा
9– शंकर पुत्र मोहन गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
10– गोपी पुत्र लादू गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
11– मु. साम्या पत्नी देवकिशन गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री त्रिलोकचंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **27/02/2024**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **शिवपुरा पटवार हल्का प्रातापुरा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 572 रकबा 0.15 है0, 580 रकबा 0.21 है0, 583 रकबा 0.41 है0, 589 रकबा 0.18 है0, 734 रकबा 0.20 है0** कुल किता **5** रकबा **1.15** हैक्टेयर की प्रार्थीया **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 08.01.2024 को **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 11** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध दिनांक 07.02.2024 एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 4** का सम्मन अदम तामिल लौटने से पुनः तलबी हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 27.02.2024 को **विपक्षीगण सं0 4** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीया के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का प्रातापुरा संवत 2074 से 2077** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थीया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **शिवपुरा** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **5 रकबा 1.15 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **27/02/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी